

कार्यालय
ग्राम पंचायत - क्यारी/मैसासा
तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

परियोजना का नाम:- मा० मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

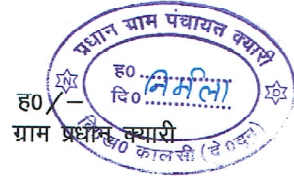
उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में राबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम क्यारी/मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4025 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 2.3975 है०) अर्थात् कुल 2.800 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी /मैसासा द्वारा दिनांक 13.02.14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैसासा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4025 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 2.3975 है०) अर्थात् कुल 2.800 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग सहिया को सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी० 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग का नवनिर्माण हेतु कोई प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



परियोजना का नाम :- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- क्यारी/बन्वासा
तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 है0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 2.3975 है0) अर्थात् कुल 2.8000 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी द्वारा दिनांक 13.02.2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मैसासा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ 
ग्राम विकास अधिकारी
विकासखण्ड - कालसी
जनपद - देहरादून



ह0/ 
ग्राम प्रधान
क्यारी



ग्राम पंचायत क्यारी/क्वासा /मैदलासा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	भूरणसिंह 3/0 अन्तराम शास्त्री भैसासा	भूरणसिंह
2-	रणवीरसिंह 3/0 गोरीसिंह	रणवीरसिंह
3-	श्यामसिंह 3/0 मोहरसिंह	श्यामसिंह चौधरी
4-	राजेंद्रसिंह 3/0 सबलसिंह	राजेंद्रसिंह
5-	चमनसिंह 3/0 गुलाबसिंह	चमनसिंह
6-	रूपूदास 3/0 गोरीदास	रूपूदास
7-	कृपालूदास 3/0 विशनादास	कृपालूदास
8-	सबलसिंह 3/0 शिवसिंह	सबलसिंह
9-	खजानूदास 3/0 रूपूदास	खजानूदास
10-	कुमारसिंह 3/0 रणवीरसिंह ररवर	कुमारसिंह
11-	आनंदसिंह 3/0 नारायणसिंह	आनंदसिंह
12-	सुखसिंह 3/0 लालसिंह	सुखसिंह
13-	अजयसिंह 3/0 लालसिंह	अजयसिंह
14-	जीशमसिंह 3/0 जीशमसिंह मैदलासा	जीशमसिंह



ह0 ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 791/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम नैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 791/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम नैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.3975 हे0 नापभूमि) वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.800 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कालसी) की दिनांक 19-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

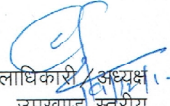
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री अशोक पाण्डेय ,	उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून	(अध्यक्ष)	
2- श्री भारत भूषण मारोलिया ,	उपप्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग चकराता	(सदस्य)	
3- श्री मिटन लाल ,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(सदस्य/सचिव)	
4- श्री राजेश नौटियाल	बी0डी0सी0 क्षेत्र लाच्छा	(सदस्य)	

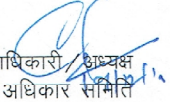
उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमुनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.3975 हे0 नापभूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजैस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.4025 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.3975 हे0 नापभूमि) को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति
तहसील :- कालसी
जनपद:- देहरादून

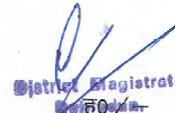
प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :- कालसी
जनपद:- देहरादून

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद- देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित मा0 मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सबमरजेंस मोटर मार्ग के किमी0 18 से ग्राम मैसासा तक मार्ग नव निर्माण हेतु 0.4025 है0 वन भूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कालसी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


District Magistrate
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

FORM - 1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Dehradun

No.: 319/३०८० गा० सी०/वनभूमि ए०/-१५

Dated: 26.12.2014

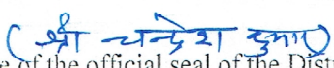
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that 0.4025 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of **SUBMERJENCE(Km.18) TO MESASA MOTOR ROAD (4.00 Km.)** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **MESASA -RAKHTAD** village(s) in Kalsi Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.4025 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above


(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

Sr. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9,425.7 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers

Encl: As above

()
(Full name of the official seal of the District Collector)


District Magistrate
Signature